

प्रेस नोट दिनांक-23.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैया श्री संदीप कुमार पटेल तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त हरिपाल उरअउफ बटुआ पुज़ रामबदल यादव निवासी भोटीपुरवा पतेरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सरैया श्री संदीप कुमार पटेल
2. आरक्षी शिवपाल
3. आरक्षी दुर्गेश
4. आरक्षी विकास

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 136/21 धारा 304बी/498ए भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त 1. श्रवण कुमार पुत्र शिवसागर 2. गौरा देवी पत्नी शिवसागर निवासीगण पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव
2. महिला आरक्षी निधि यादव
3. आरक्षी विकेश मौर्या
4. आरक्षी दिनेश यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय के मार्गदर्शन में उ0नि0 दिनेश कुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा वाद संख्या 401/16 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त महेश पुत्र भोला निवासी गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उन00 श्री दिनेश कुमार यादव थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री मोहम्मद नईम खां

(4). दिनांक-22/23.09.2021 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग हेतु चलाए गए विशेष अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव द्वारा खनिज अधिकारी के साथ ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर 13 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। इसी क्रम में प्रभारी यातायात

श्री योगेश कुमार यादव द्वारा 04 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा कुल 17 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया।

(5). आज दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी। इस दौरान महोदय द्वारा वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(6). आज दिनांक-23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के बैंकों में चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नही शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। बैंक डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया। बैंक में उपस्थित लोगों से मास्क लगाने हेतु एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की।

(7). उ0प्र0 साइबर पीस फांडेशन के सहयोग से "उ0प्र0 पुलिस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग" की आयोजित साइबर अपराध से बचाव एवं जागरूकता की वर्चुअल कार्यशाला में नियमित रूप से पुलिस कार्यालय जनपद चित्रकूट के साथ साथ समस्त थानों पर अधि0/कर्म0गण द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा।

(8). आज दिनांक-23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा थाना रैपुरा में थाना रैपुरा एवं थाना पहाड़ी के विवेचकों का अर्दली रूम कर लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गयी। महोदय द्वारा लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचक से लम्बित रखने का कारण पूछते हुए गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव, निरीक्षक अपराध थाना पहाड़ी श्री सतीश पाण्डेय एवं थाना रैपुरा, पहाड़ी के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(09). आज दिनांक-23.09.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल एवं जिला जज श्री रवीन्द्रनाथ दुबे द्वारा जिलाकारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा बंदी बैरक, महिला बंदी बैरक, भोजनालय एवं अस्पताल का निरीक्षण कर सम्बन्धित को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। महोदय द्वारा समय-समय पर बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(10). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-3” अभियान के तहत दिनांक 23.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।